न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प बयाना

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव , आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 22/23 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2023/102

उनवान

1. मौहर सिंह आयु 65 साल पुत्र हुक्म
2. मोरध्वज आयु 45 साल पुत्र कालीचरन
3. भीम सिंह आयु 35 साल पुत्र कालीचरन
4. माधव सिंह आयु 33 साल पुत्र कालीचरन
5. लालचन्द आयु 24 साल पुत्र ओमप्रकाश
6. सपना आयु 26 साल पुत्री ओमप्रकाश
7. मनीषा आयु 28 साल पुत्री ओमप्रकाश
8. चन्दर आयु 57 साल पत्नि ओमप्रकाश
9. शंकर आयु 20 साल पुत्र निर्भय
10. टीना आयु 18 साल पुत्री निर्भय
11. गौरा आयु 37 साल पत्नि निर्भय

जाति धाकड निवासी नगला खुशहालीराम तहसील बयाना जिला भरतपुर।

12. श्रीमती रामश्री पुत्री हुक्म पत्नि पूरन जाति धाकड निवासी नगला अन्डवा तहसील बयाना जिला भरतपुर।
13. श्रीमती कमला पुत्री हुक्म पत्नि छुट्टन जाति धाकड निवासी एस डी एम निवास के पास हिण्डौन सिटी जिला करौली।
14. श्रीमती प्रेम आयु 55 साल पुत्री हुक्म, पत्नि सुरेश जाति धाकड निवासी हरनगर तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. छोटेलाल आयु 71 साल पुत्र हीरा
2. भरती आयु 61 साल पुत्र हीरा
3. सूखाराम आयु 55 साल पुत्र हीरा
4. धर्म सिंह आयु 48 साल पुत्र हीरा

जाति धाकड निवासी नगला खुशहालीराम तहसील बयाना जिला भरतपुर

.....असल रेस्पोंडेंट।

5. टीकम पुत्र गोकल
6. रामरतन पुत्र गोकल
7. लालाराम पुत्र गोकल
8. जीतेन्द्र पुत्र सूरजमल
9. धर्मेन्द्र पुत्र सूरजमल
10. धीरज कुमार पुत्र सूरजमल

जाति धाकड निवासी नगला खुशहालीराम तहसील बयाना जिला भरतपुर।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

11. राजस्थान सरकार जरिये श्री तहसीलदार बयाना तहसील बयाना।

.....तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, बयाना दिनांक 26.06.2020 उनवानी छोटेलाल बनाम कालीचरन मु0न0 70/20

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री नारायण सिंह उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 22.09.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के आदेश दिनांक 26.06.2020 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/असल रैस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट एवं तरतीवी रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी किता 22 रकवा 2.99 है0 वाके ग्राम खुशहालीराम तहसील बयाना में स्थित है। जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण निस्फ–निस्फ हिस्से के खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी हैं। विवादित आराजी का अभी विधीवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः शामलात काश्त करने में आये दिने उभयपक्षकारान के मध्य झगडा हो जाता है। अप्रार्थीगण अच्छी अच्छी आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं एवं विवादित आराजी के विधिवत विभाजन हेतु साफ इंकारी हो गये। अतः मूल वाद के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से रैस्पो0 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 के तहत पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। वकील अपीलाण्ट ने एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य को नजरअंदाज करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी में अपीलाण्ट व रैस्पो0 राजस्व रिकार्ड में सहखातेदार नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया रैस्पो0 का प्रकरण साबित नहीं है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

आदेश से अपीलाण्ट के दाखिल खारिज की प्रक्रिया में व्यवधान हो रहा है एवं इन्द्राज तब्दील नहीं होने की सूरत में राजकीय लाभो से वंचित हो रहे हैं। विवादित आराजी का उभयपक्ष के मध्य पूर्व में राजीनामा के आधार पर विधिवत विभाजन हो चुका है एवं राजस्व रिकार्ड में पृथक–पृथक खाते कायम हो चुके हैं। अतः रैस्पो0 को पुनः विभाजन का दावा लाने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य को नजरअन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। इसके अलावा उनका यह भी कथन है कि अपीलाधीन आदेश जो कि अन्तरिम आदेश है दिनांक 26.06.2020 का है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आदिनांक तक उसे अन्तिम तौर पर निस्तारित नहीं किया है। जबकि नियमानुसार प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण तीन माह में किया जाना आज्ञापक है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने प्रार्थना पत्र में यह तथ्य अंकित किये किये कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी के पूर्वज विवादित आराजी पर वहिस्सा बराबर के खातेदार दर्ज थे। परन्तु अप्रार्थी अपीलाण्ट ने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियो से साज कर गोपनीय तरीके से संयुक्त खातेदारी की आराजी में पृथक–पृथक खाते कायम करवाये गये हैं। जिनमें रैस्पो0 को राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्सो के विपरीत प्रार्थी अपीलाण्ट ने अपने खाते में अधिक आराजी दर्ज करा ली है। जबकि राजस्व रिकार्ड के अनुसार दर्ज खातेदारी की आराजी को समान भाग के अनुसार बराबर–बराबर कुर्रे बनाकर विभाजन होना चाहिये था। अप्रार्थी अपीलाण्ट उक्त तथ्य को नकारते हुये, राजीनामा के आधार पर विवादित आराजी का विभाजन होना कथन करते हैं। परन्तु दौराने बहस अपने हिस्से में अधिक भूमि होना स्वीकारते हैं। उक्त तथ्य विस्तृत साक्ष्य विवेचना उपरान्त मूल वाद में तय होगा। चूंकि प्रकरण में रैस्पो0 की तलवी नहीं हुयी है एवं अपीलाण्ट की एक पक्षीय बहस अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुनी गयी है। परन्तु रैस्पो0 के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो के आलोक में एवं दौराने बहस अपीलाण्ट की स्वीकारोक्ति के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलाण्ट के पक्ष में ना होकर रैस्पो0 के पक्ष में अधिक पुष्ट होता है। हम अपीलाण्ट की इस आपत्ति को सारपूर्ण पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अन्तरिम आदेश दिनांक 26.06.2020 का आदिनांक तक अन्तिम तौर पर निस्तारण नहीं किया है। अतः हम रैस्पो0 को तलव किये जाने की आवश्यकता महसूस ना करते हुये, प्रकरण इसी स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि वह उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये अपने समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आदेश 39 नियम 3 सीपीसी के सुसंगत प्रावधानों एवं माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसरण में विधिवत रूप से तीन माह के अंदर निस्तारित करें।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में आदेश 39 नियम 3 सीपीसी के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुये, अधिकतम तीन

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

माह में प्रकरण का अन्तिम निस्तारण करने हेतु प्रतिप्रषित की जाती है, तब तक अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.06.2020 प्रभावी रहेगा। अपीलाण्ट को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.10.2023 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 22.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प बयाना